परिशिष्ट - II

राजस्थान पेंशन अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम संख्या 27)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 मई, 1958 को प्राप्त की गई) राज्य सरकार द्वारा दी गयी या भुगतान योग्य राज्य पेंशनों एवं धनीय अनुदानों से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित करने के लिए अधिनियम। भारत गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया गया :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पेंशन अधिनियम, 1958 है।

(2) यह सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

(1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) 'धनीय अनुदान' में किसी अधिकार, विशेषाधिकार, परिलब्धि या पद के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से भुगतान-योग्य कोई राशि सम्मिलित है, लेकिन इसमें नकद जागीर सम्मिलित नहीं है जिस पर राजस्थान नकद जागीर उन्मूलन अधिनियम, 1958 लागू होता है;

(ii) 'राज्य' या 'राजस्थान राज्य' का अभिप्राय राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) की धारा 10 द्वारा गठित रूप में नए राजस्थान राज्य से है।

3. पेंशनों एवं अनुदानों से सम्बन्धित वादों पर प्रतिबंध

कोई भी सिविल न्यायालय, इसमें उपबंधित के सिवाय, राज्य सरकार द्वारा या पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा प्रदत्त या दी गई किसी पेंशन एवं धनीय अनुदान से सम्बन्धित वादों को ग्रहण नहीं करेगा, चाहे ऐसी पेंशन या अनुदान के लिए प्रतिफल कुछ भी हो एवं चाहे उस भुगतान, क्लेम या अधिकार की जिसके लिए ऐसी पेंशन या अनुदान प्रतिस्थापित की गयी हो, की प्रकृति कुछ भी हो।

4. क्लेम कलक्टर या अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा

कोई भी व्यक्ति जो ऐसी पेंशन या अनुदान का क्लेम करता है, उस क्लेम को जिले के कलक्टर को या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में प्राधिकृत किए गए अन्य अधिकारी को प्रस्तुत करेगा, तथा वह कलक्टर या अन्य अधिकारी ऐसे क्लेम का निपटारा उन नियमों के अनुसार करेगा, जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किए जाएँगे।

5. सिविल न्यायालय ऐसे क्लेमों का संज्ञान कब लेने के लिए सक्षम होंगे

सिविल न्यायालय, जो अन्यथा प्रकार से उन पर विचारण करने के लिए सक्षम है, जिले के